



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 18 मई, 2026

बैशाख 28, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या 1274 / 33-3-2026

लखनऊ, 18 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-286

उत्तर प्रदेश सरकार, एतद्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के० कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ व अन्य, 2010, विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, 2021 एवं सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 में प्रदत्त निदेश के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के सम्बंध में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के संदर्भ में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन, गहन, अनुभवजन्य जांच करने तथा पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें प्रदान करने हेतु एक समर्पित आयोग का गठन करती है।

1-नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

1.1 यह आयोग "उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" (जिसे आगे "आयोग" कहा गया है) के नाम से जाना जायेगा।

1.2 इस आयोग की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी।

1.3 आयोग के गठन की अधिसूचना उत्तर प्रदेश के गजट में प्रकाशित की जाएगी।

1.4 आयोग का कार्यकाल, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से छः माह का होगा।

2-आयोग के कृत्य-

आयोग निम्नलिखित विषय पर अध्ययन करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार को अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा:-

2.1 आयोग, राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के पूर्व सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा नव मान्यता प्राप्त/गठित त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में अद्यतन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर अनुभवजन्य अध्ययन और जांच करेगा और तत्पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायवार आनुपातिक आरक्षण के सम्बंध में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

3-सन्दर्भ के निबंधन-

3.1 उत्तर प्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और विवक्षा की समकालीन, सख्त, अनुभवजन्य जांच का संचालन करना।

3.2 उपलब्ध अभिलेखों, रिपोर्टों, सर्वे और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के त्रिस्तरीय पंचायतवार अनुपात का पता लगाना तथा के० कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ, 2010, विकास कृष्णराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 एवं सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार अध्ययन करना और सरकार को अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट तीन(03) माह की अवधि के भीतर या जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत की जाये, या ऐसी अन्य अवधि जो राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाय, के भीतर प्रस्तुत करेगा।

3.4 आयोग केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों, जनता से ऐसी जानकारी या आंकड़े ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्राप्त करने के लिए, जैसा कि वह अपने कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ आवश्यक या सुसंगत समझे, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं या व्यक्तियों से सहायता ले सकता है।

3.5 विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करके उनकी सलाह लेना और अनुभवजन्य आंकड़ों के विश्लेषण तथा आयोग के कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक होने पर मान्यता प्राप्त शोध संस्थाओं की सहायता प्राप्त करना।

3.6 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य या भारत के अन्य राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिए अध्ययन यात्राओं की व्यवस्था करना।

4-आयोग का गठन-

4.1 आयोग की संरचना निम्नवत होगी:-

(क) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से पाँच सदस्य होंगे, जो पिछड़े वर्गों से सम्बंधित मामलों का ज्ञान रखते हों;

(ख) उपर्युक्त सदस्यों में से एक सदस्य माननीय उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जो आयोग का अध्यक्ष होगा।

5-आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-

5.1 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सामान्य तौर पर नियुक्ति के दिनांक से 6 माह की अवधि तक पद धारण करेंगे।

5.2 अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार की राय में उसका पद पर बना रहना लोकहित में नहीं हो।

6-आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाएं-

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा सम्बन्धी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

7-आयोग में नियुक्तियां-

7.1 सचिव, उप सचिव, शोध अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, कार्यालय सहायक और अन्य कर्मचारियों के पद की सेवाएं अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेंगी या प्रशासकीय विभाग से ही उपलब्ध करायी जा सकेंगी। जहाँ आवश्यक हो, सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुरूप संविदा पर नियुक्ति द्वारा ली जा सकती हैं।

7.2 आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें अपने मूल विभाग के अनुरूप होंगी।

7.3 आयोग अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकेगा।

8-आयोग की बैठकें-

आयोग का मुख्यालय लखनऊ में रहेगा। आयोग ऐसे समय, अवधि एवं स्थान पर बैठकें आयोजित करेगा जो अध्यक्ष उचित समझे।

9—लेखा एवं संपरीक्षा—

9.1 आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का विवरण ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विहित किया जाए।

9.2 आयोग के लेखाओं की सम्परीक्षा, निदेशक स्थानीय निधि एवं सम्परीक्षा द्वारा विहित अंतरालों पर किया जायेगा।

10—सुझाव/सिफारिशें—

आयोग द्वारा उद्देश्य एवं कार्य के सम्बन्ध में सुझाव और सिफारिशों के साथ शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें उसके क्रियाकलापों, सिफारिशों तथा कार्य का पूर्ण विवरण होगा।

11—आयोग को प्रशासनिक व्यवस्था एवं बजट प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

12—आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को लोक सेवक समझा जाना—

आयोग का अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-2 (28) के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

13—संशोधन/परिवर्धन—

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन, परिवर्तन अथवा विस्तार किया जा सकेगा।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

No. 1274/XXXIII-3-2026

Dated Lucknow, May 18, 2026

THE Government of Uttar Pradesh, hereby, in pursuance of the direction given by the Hon'ble Supreme Court in *K. Krishnamurthy vs. Union of India, 2010*, *Vikas Kishanrao Gawali vs. State of Maharashtra, 2021* and *Suresh Mahajan vs. State of Madhya Pradesh, 2022* is pleased to constitute a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua three-tier panchayat bodies with respect to the Backward Class of Citizen within the State of Uttar Pradesh, and to study the nature and effects of backwardness and to provide its recommendations.

1. Name, extent and commencement—

1.1 This Commission shall be known as "Uttar Pradesh State Rural Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission" (hereinafter referred to as the "Commission").

1.2 The jurisdiction of this Commission will be the whole of Uttar Pradesh.

1.3 The notification to constitute the Commission shall be published in the *Gazette* of Uttar Pradesh.

1.4 The term of Commission will be six months from the date of publication of such notification.

2. Functions of the Commission—

The Commission, after studying on the following subject, shall submit its suggestions and recommendations to the Government of Uttar Pradesh;

2.1 The Commission will conduct empirical study and investigation based on updated data and facts in the context of the representation of backward classes in all rural bodies and newly recognized/constituted three-tier Panchayat before the upcoming general election of the rural local bodies of the State and subsequently its recommendation to the State Government regarding proportional reservation rural local body wise for backward classes.

3. Terms of Reference—

3.1 To conduct the contemporaneous rigorous empirical inquiry into nature and implications of the backwardness qua three-tier panchayat bodies in the State of Uttar Pradesh.

3.2 To find out the three-tier panchayat wise proportion of backward class citizens' population in the total population on the basis of analysis of available records, reports, surveys and other available data and to study the same in accordance with the directions given by the Hon'ble Supreme Court in the case of *K. Krishnamurthy vs. Union of India, 2010*, *Vikas Kishanrao Gawali vs. State of Maharashtra, 2021* and *Suresh Mahajan vs. State of Madhya Pradesh, 2022* and to submit a report with its recommendations to the Government.

3.3 In addition to the above, the Commission shall submit its report to the Government within a period of three(3) months or as may be fixed by the State Government, or within such other period as may be extended by the State Government.

3.4 The Commission may seek assistance from various organizations, institutions or individuals for obtaining such information or data from the offices of the Central and State Governments, the public, in such form and manner as it may consider necessary or relevant for the purpose of its activities.

3.5 Avail advices and researchers by holding meetings with them and also get assistance of recognized research institutions as and when necessary for analysis of the empirical data and also for the efficient and effective functioning of the Commission; and

3.6 Arrange study tours to visit various areas in the State of Uttar Pradesh or other States of India to achieve the above objectives.

4. Constitution of the Commission—

4.1 The composition of the Commission will be as follows: —

(a) The Commission, shall comprise of five members to be appointed by the State Government, from amongst such persons who may having the knowledge on the matters related to backward classes.

(b) Amongst the above members, one member shall be the Retired Judge of Hon'ble High Court, who shall be Chairman of the Commission.

5. Tenure of the Chairman and Members of the Commission—

5.1 The Chairman and Members of the Commission shall normally hold office for a term of six months from the date of appointment.

5.2 The Chairman and Members may be removed from office if, in the opinion of the State Government, their continuation in office is not in the public interest.

6. Honorarium and other facilities payable to the Chairman/Members of the Commission—

The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and members of the Commission shall be such as may be prescribed by the State Government.

7. Appointments in the Commission—

7.1 The services on the post of Secretary, Deputy Secretary, Research Officer, Review Officer, Office Assistants and other employees may be taken on deputation from other departments or may be made available by the administrative department. Wherever necessary, services of retired officers and employees can be availed by appointment on contract as per the instructions of the State Government.

7.2 Salaries, allowances payable and other service conditions of the officers/employees of the Commission shall be as per their parent department.

7.3 The Commission may take the services of experts as per the requirement for the discharge of its work and responsibilities.

8. Meetings of the Commission—

The headquarters of the Commission will be in Lucknow. The Commission shall hold meetings at such places, time and periods as the Chairman may deem fit.

9. Accounts and Audit—

9.1 The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare statement of accounts in such form and manner as may be prescribed by the State Government for this purpose.

9.2 The accounts of the Commission shall be audited by Director Local Funds and Audit at such intervals as may be prescribed.

10. Suggestions/Recommendations—

The Commission will submit a report to the Government with suggestions and recommendations regarding its objectives and functions. This report will contain a complete description of its activities, recommendations and work.

11. The administrative arrangements and budget to the Commission shall be provided by the Administrative Department.

12. Chairperson, members and employees of the Commission to be public servants—

The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants under Section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

13. Amendments/Additions—

The State Government may make any amendments, changes or extension from time to time.

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 165 राजपत्र-2026-(500)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पंचायती राज-2026-(501)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।